पंजीकृत संख्या–यू0एस0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2009 ई0 (फाल्गुन 16, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–10

फार्म नं0 4
(नियम 8 देखिये)

1–प्रकाशन	:	रुड़की।
2–प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक।
3–मुद्रक का नाम	:	संयुक्त निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड।
4–प्रकाशक का नाम	:	संयुक्त निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
5–सम्पादक का नाम	:	उत्तराखण्ड शासन।
(क्या भारतीय नागरिक है)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों।	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं, एस0 के0 गुप्ता, संयुक्त निदेशक एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)
एस0 के0 गुप्ता,
संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रुड़की।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	57—69	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	93—94	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुसूचित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

संख्या 54 / XX—1 / 288 / पीपीएस / 2004

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग—1 देहरादून : दिनांक 28 जनवरी, 2009

विषय—पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन समिति की बैठक दिनांक 30—12—2008 को आयोजित की गयी थी। लोक सेवा आयोग की संस्तुति विषयक पत्र दिनांक 05 जनवरी, 2009 के आधार पर पुलिस निरीक्षक वेतनमान (रु0 8500—10500 पुनरीक्षित पे—बैंड रु0 9300—34800 पर रु0 4200 की ग्रेड—पे) से पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (रु0 8000—13500 पुनरीक्षित पे—बैंड रु0 15600—39100 पर रु0 5400 की ग्रेड—पे) में एतद्द्वारा पदोन्नति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

चयन वर्ष 2006–07

क्र०सं०	नाम	चयन वर्ष
1.	हरीश कुमार सिंह	2006–07
2.	जितेन्द्र सिंह पांगती, सामान्य/अनु० जनजाति	2006–07
3.	वीरेन्द्र कुमार शर्मा	2006–07
4.	जोगेन्द्र सिंह	2006–07
5.	रमेश चन्द्र जोशी	2006–07
6.	शकुन्तला होतियाल, सामान्य/अनु० जनजाति	2006–07
7.	जगदीश सिंह असवाल	2006–07
8.	राजेन्द्र प्रसाद बलूनी	2006–07
9.	प्रताप सिंह पांगती, सामान्य/अनु० जनजाति	2006–07
10.	जगदीश पाल, सामान्य/अनु० जनजाति	2006–07
11.	सत्यवीर सिंह	2006–07
12.	नवीन चन्द्र त्रिपाठी	2006–07
13.	अरुण कुमार पाण्डे	2006–07

ज्येष्ठता क्रमांक 26 पर श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे, अप०अनु० विभाग, लखनऊ द्वारा उनके विरुद्ध मु०अ०सं० 390/05 धारा 217/218/201/409 भादवि थाना फरीदपुर जनपद बरेली में कथित रूप से सम्मिलित होने के कारण अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रकरण सम्प्रति लम्बित है। अतः चयन समिति द्वारा चयन वर्ष 2006–07 में 01 रिक्ति पर चयन रोका गया है।

चयन वर्ष 2006–07

क्र०सं०	नाम	चयन वर्ष
1.	गोविन्द राम वर्मा, अनु० जाति	2006–07

ज्येष्ठता क्रमांक 09 पर श्री बिशन राम आर्य के प्रकरण पर चयन वर्ष 2006–07 में शेष 01 रिक्ति के सापेक्ष बन्द लिफाफे की कार्यवाही के कारण विचार नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री बिशनराम आर्य के प्रतिकूल प्रविष्टि को सम्यक् विचारोपरान्त विलोपित करते हुए सत्यनिष्ठा वर्ष 2008 में प्रमाणित कर दी गयी है, जिसे लोक सेवा आयोग को संसूचित कर दिया गया है।

चयन वर्ष 2007–08

क्र०सं०	नाम	चयन वर्ष
1.	दिनेश चन्द्र थपलियाल	2007–08
2.	दिवानी राम आर्य, सामान्य/अनु० जाति	2007–08
3.	प्रकाश चन्द्र पन्त	2007–08
4.	महेन्द्र सिंह माजिला	2007–08
5.	उम्मेद सिंह बिष्ट	2007–08
6.	सुरेन्द्र सिंह चिनवान	2007–08
7.	डरेन्द्र पाल सिंह	2007–08
8.	राकेश चन्द्र पंत	2007–08

उपरोक्त पदोन्नतियां मा० उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय एवं भारत सरकार के अन्तिम आवंटन के अधीन होगी।

उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

राजस्व अनुभाग–1

13 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 240/XVIII(1)/2009–4/2008–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषायें–

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम) 1994 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) अभिप्रेत है,

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ग) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के आयुक्त अभिप्रेत है,

(ङ) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(च) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ज) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(झ) "संस्थान" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा अथवा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल अभिप्रेत है,

(ट) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ठ) "सेवा" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा अभिप्रेत है,

(ड) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

(ढ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,

(त) "नायब तहसीलदार" से "पेशकार" भी अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्न होगी :–

पद का नाम	पदों की संख्या		योग
	स्थाई	अस्थाई	
नायब तहसीलदार	105	39	144

परन्तु उपबन्ध यह है कि,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का श्रोत–

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :–

(1) पचास प्रतिशत पद आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा,

(2) (क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हो तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

6. आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय–समय पर यथासंशोधित और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा और संयुक्त तांजानिआ गणराज्य (पूर्ववर्ती तागानिआ और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रजनन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि, उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि, यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. शैक्षिक अर्हता–

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है।

9. अधिमानी अर्हता–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु–

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11. चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वास्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण–

नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, भर्ती के वर्ष के दौरान भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और शार्टलिस्ट कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच चुके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और नियम सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

17. संयुक्त चयन सूची–

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों के द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

18. चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण–

नियम 15 या 16 के अधीन चयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा नियत किया जाये, जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

19. अर्हता परीक्षा–

(1) प्रशिक्षण के अंत में एक अर्हता परीक्षा अभिनिर्धारित होगी जिसके लिये मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी की उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर कार्य और आचरण का निर्धारण करेगा जिसके लिये अर्हता परीक्षा के लिये कुल अंकों के बीस प्रतिशत अंक निश्चित किये जायेंगे और अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त अंकों को अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि सत्र के दौरान वह संस्थान के खुले रहने के कुल दिनों के अस्सी प्रतिशत तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो तथापि मुख्य राजस्व आयुक्त आपवादिक मामलों में शर्तों को शिथिल कर सकते हैं।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसको संस्थान में दो महीने के अन्तर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल उन्हीं विषयों में की जायेगी जिनमें अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में असफल रहा हो और ऐसे प्रशिक्षण के अंत में संस्थान द्वारा अनुपूरक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(5) समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक सत्र में मुख्य राजस्व आयुक्त एक अधिकारी को अर्हता परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेगा। अधीक्षक अपने बदले में निरीक्षक नियुक्त करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयास, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुये कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेंगे। अधीक्षक, स्वविवेकानुसार परीक्षार्थी को या तो अर्हतर परीक्षा से निवर्जित कर सकता है या किसी प्रश्न–पत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में से कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुये कदाचार के आधार पर ऐसा करने से पूर्व अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का पूरा अवसर परीक्षार्थी को प्रदान किया जायेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। मुख्य राजस्व आयुक्त का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

20. नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

21. परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक, विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये :

परन्तु उपबन्ध यह है, कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

22. स्थायीकरण–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या, बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने साढ़े चार मास का विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन की गई यह घोषणा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

23. ज्येष्ठता–

मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2003 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन आदि

24. वेतनमान–

(1) नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनबैंड एवं सादृश्य ग्रेड पे निम्न प्रकार है :–

पदनाम	वेतनबैंड/वेतनमान (रु० में)	सादृश्य ग्रेड पे (रु० में०)
नायब तहसीलदार	9300–34800	4200

25. परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे दे, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए आगणित नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन–

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विशिष्टि रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तों का शिथिलीकरण–

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तथा वह ऐसे मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभियुक्त या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

29. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

पेयजल अनुभाग-1

अधिसूचना

13 फरवरी, 2009 ई0

संख्या 172 / उन्तीस(1) / 2009- (59 पे0) / 04- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 52 की उपधारा (3) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से सम्पूर्ण राज्य में लागू जल कर एवं सीवर कर को समाप्त करने तथा उपभोक्ताओं पर बकाया जल कर एवं सीवर कर की धनराशि को माफ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एम0एच0 खान,
सचिव

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 172 xxix(1)/2009 (59 PAY)/04, dated February 13, 2009 for general information.

NOTIFICATION

February 13, 2009

No. 172/xxix(1)/2009 (59 PAY)/04- [illegible]

By Order,

M. H. KHAN,
Secretary.

पशुपालन अनुभाग-2

17 फरवरी, 2009 ई0

कार्यालय ज्ञाप

[illegible]

क्र0सं0	[illegible]	[illegible]
1	श्री एच0 के0 पुरोहित (सामान्य)	सहायक निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी
2	श्री राजेन्द्र लाल (अनु0 जाति)	सहायक निदेशक, मत्स्य, चमोली।

आज्ञा से,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव।

लघु सिंचाई अनुभाग

आदेश

24 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 349/II–2009–02(11)/2008–निरीक्षक/विवेचक, सतर्कता सेक्टर, सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून के आर०जी०/फैक्स, दिनांक 18–02–2009 के द्वारा राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मु०अ०सं० 4/08 अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 थाना सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून के मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा श्री रविन्द्र प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, जिला चमोली को दिनांक 18–02–2009 की सायं 7.00 बजे गिरफ्तार किया गया है।

2–चूंकि श्री रविन्द्र प्रसाद इस समय अभिरक्षा में हैं, अतः उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निलम्बन अवधि में श्री रविन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

3–निलम्बन अवधि में श्री रविन्द्र प्रसाद को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 (भाग 2 से 4) के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब यह समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

4–उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री रविन्द्र प्रसाद इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5–अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चमोली का कार्य अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग अग्रिम आदेशों तक अपने कार्य के अतिरिक्त सम्पादित करेंगे जिस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ते देय नहीं होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–1

अधिसूचना

17 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 144/XXVIII(1)/2007–18/2004–भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष), नई दिल्ली के आदेश संख्या–K11017/2/2007–DCC(AYUSH) Vol. III, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 के क्रम में ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम–154 (2) के उपबन्धों के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के लिए विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) जारी किये जाने हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किये जाने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून – अध्यक्ष

(2) डा० दिनेश चन्द्र सिंह, रीडर द्रव्यगुण, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार – सदस्य

(3) डा० सिमरन कौर, बी०ए०एम०एस०, एम०डी० (आयुर्वेद) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, मील ऑफिस के सामने रायपुर रोड, देहरादून (प्राइवेट प्रैक्टिशनर) – सदस्य

(4) श्री गिरीश चन्द्र जोशी, रीजनल ऑफिसर, सी०सी०आर०आर०, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा — सदस्य

(5) डा० एस०एस० कैन्तुरा, कार्यवाहक उपनिदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून —सदस्य सचिव

2—इस कार्य हेतु उपरोक्त अधिकारियों/विशेषज्ञों को कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा तथा इस पैनल का कार्यकाल अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से 01 वर्ष होगा।

आज्ञा से,

अजय सिंह नबियाल,
अपर सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 हिन्दी गजट/148—भाग 1—2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2009 ई० (फाल्गुन 16, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 16, 2009

No. 10/XIV/16/Admin. A/2008--Sri Vijay Kumar Vishwakarma, 2nd Judicial Magistrate, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 31.10.2008 to 09.11.2008 with permission to prefix 26.10.2008 as Sunday, 27.10.2008 to 29.10.2008 as Deepawali holidays and 30.10.2008 as local holiday.

February 16, 2009

No. 11/UHC/XIV-7/Admin.A--Sri Gajanand Nautiyal, Special Judicial Magistrate, Rishikesh, Distt. Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 10.11.2008 to 29.11.2008 with permission to prefix 08.11.2008 and 09.11.2008 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 30.11.2008 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

February 24, 2009

No. 14/UHC/XIV/63/Admin.A--Ms. Neetu Joshi, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, is hereby sanctioned earned leave for 05 days *w.e.f.* 13.10.2008 to 17.10.2008.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून

अधिसूचना

24 फरवरी, 2009 ई०

पत्रांक 1536/उविनिआ/वि०स०स०/09–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विद्युत सलाहकार समिति में निम्न सदस्य भी एतद्द्वारा नियुक्त किये जाते हैं :–

विद्युत क्षेत्र में अकादमी एवं शोध संस्था प्रतिनिधि :

1. श्री राकेश नाथ — सदस्य
अध्यक्ष,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर०के० पुरम,
नई दिल्ली

कृषि प्रतिनिधि :

2. कुलपति, — सदस्य
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
पन्तनगर

विद्युत अधिनियम की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है :–

(i) Major questions of policy;

(ii) Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;

(iii) Compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;

(iv) Protection of consumers interest; and

(v) Electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति में उक्त सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 31–03–2009 तक होगा।

वी०जे० तालवाड़,
अध्यक्ष।

कार्यालय, गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

शुद्धि–पत्र

16 फरवरी, 2009 ई०

पत्रांक 3427/C/समिति–कार्यालय के आदेश पत्रांक 3222(1–5)/समिति, दिनांक 27–01–2009 के पृष्ठ संख्या 3 के पैरा 3 में अंकित है कि "कर्मचारी प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना आयुक्त द्वारा CRUSHING SEASON के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया जाये उस पर भी उत्तराखण्ड में निर्णय लेते समय विचार किया जाय। गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अपने आदेश संख्या 421/जी/समिति/दिनांक 05–01–2008 द्वारा CRUSHING SEASON के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि पेराई अवधि सम्बन्धित गन्ना मिल में पेराई शुरू होने की तिथि से पेराई समाप्त होने की तिथि तक मानी जायेगी।"

उपरोक्त पैरा में लिपिकीय त्रुटिवश गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश की तिथि 05–01–2009 के स्थान पर 05–01–2008 अंकित हो गयी है। इस तिथि को 05–01–2009 पढ़ा जायेगा। पैरा के अन्य Contents यथावत् रहेंगे।

गिरिजा शंकर जोशी,
गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक,
सहकारी गन्ना समितियां,
उत्तराखण्ड।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 हिन्दी गजट/148–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।